

प्रवेश प्रक्रिया-2026-27 हेतु निर्देश

(कक्षा 2 से 9 तक)

जिन विद्यार्थियों का प्रोविजनल प्रवेश सूची में नाम है तथा सूची में जिनका प्रवेश कन्फर्म प्रदर्शित हो रहा है उनके अभिभावक निम्न दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

1. अभिभावक स्वयं (माता या पिता) सभी मूल दस्तावेजों एवं मूल टीसी के साथ दिनांक 15/04/2026 से 18/04/2026 तक कार्य दिवस में प्रातः 8:00 से 10:30 बजे के मध्य प्रवेश विभाग में संपर्क करें ।
2. प्रवेश विभाग से आपको एक प्रवेश प्रार्थना पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे पूर्ण रूप से भरकर प्रवेश विभाग में जमा करवाना होगा तथा पंजीकरण के समय लगाए गए दस्तावेजों का ओरिजिनल दस्तावेजों से वेरिफिकेशन करवाना होगा ।
3. प्रवेश हेतु विद्यार्थी की मूल टीसी एवं विद्यार्थी का UDISE PEN नंबर जमा करवाना अनिवार्य है । मूल टीसी के अभाव में प्रवेश नहीं होगा ।
4. सरकारी कर्मचारी (केटेगरी 1 से 4 तक) के द्वारा यदि पंजीकरण फॉर्म में ट्रांसफर का उल्लेख किया है तो ट्रांसफर आर्डर की सत्यापित प्रति सलग्न करना अनिवार्य है ।
5. प्रवेश विभाग/कक्षा अध्यापक द्वारा फीस चालान जमा करवाने के जो भी निर्देश दिए जाए उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें ।
6. अभिभावक/अभ्यर्थी द्वारा नियत समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में तथा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने की स्थिति उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा सूची में आगे के अभ्यर्थी का प्रवेश द्वितीय सूची में जारी किया जावेगा ।

आज्ञा से
प्राचार्य

प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (स्व सत्यापित फोटो प्रतिलिपी)

- (1) विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज़ का नवीतम फोटो ।
- (2) पूर्व कक्षा का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी सी) मूल प्रति
- (3) जन्म दिनांक प्रमाण पत्र
- (4) अभ्यर्थी का आधार कार्ड ।
- (5) निवास स्थान का दस्तावेज़ जो माता या पिता के नाम का हो ।
(आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , बिजली/ जलदाय/ टेलीफोन बिल,
किराया चिट्ठी इत्यादि)
- (6) जाति प्रमाण पत्र , यदि आवश्यक हो ।
- (7) सरकारी कर्मचारी होने पर अपने विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा
पंजीकरण फार्म में दिये गये सेवारत प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से भर कर हस्ताक्षरित
कराना अनिवार्य है साथ ही उसमें यदि 20 किमी से अधिक दूरी एवम न्युनतम छः
महीने तक ठहराव के ट्रांसफर हुए हैं तो उन ट्रांसफर का जरूर उल्लेख करे ।
- (8) ब्लड ग्रुप रिपोर्ट ।

नोट : किसी भी परिस्थिति में अधूरे भरे हुए एवं बिना आवश्यक दस्तावेजों के प्रवेश फार्म जमा नहीं किये जाएंगे ।

आज्ञा से
प्राचार्य